न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 421/2022 निर्णय दिनांक :– 8/4/2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कन्हैया पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र 51 वर्ष निवासी आमली तहसील दूनी जिला टोकं राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूर्नी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री नन्दलाल मीणा **तहसीलदार दूनी**
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 110 खसरा नम्बर 839/203 रकबा 0.3200 है0 वाके ग्राम आमली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि पर काबिज–काश्त है। वर्तमान में उक्त आराजीयात खाली पडी है व आस पास के खेत वाले ने प्रार्थी की उक्त भूमि पर मेड/डोल को नष्ट कर दि है। प्रार्थी के खेतों के पडोसियों ने नाजायत रूप में फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हों को धीरे–धीरे अपने खेत में मिलाना चाह रहे है। इस कारण से प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी की आराजी के पडोसी प्रार्थी की भूमि को अपने खेतों में नही मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थी जब भी अपने खेत में जाते है तो उन्हे वहा पर सीमा चिन्ह नही मिलते है। वर्तमान में खेत खाली है। अस लिए अभी खेत की पत्थगढी की जाती है तो आने वाले समय में जब भी फसल काश्त होगी तो कोई विवाद पैदा नही होगा और प्रार्थी मुकदमेंबाजी से बच जायेंगे।

प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है। स्वयं के कब्जे काश्त की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदार खसरा नम्बर 204 रकबा 3.55 है0 है। जिन खातेदरो से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया है उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। किसी पक्षकार का विरासत नामान्तकरण अवशेष नही है उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में खाता संख्या 110 खसरा नम्बर 839/203 रकबा 0.3200 है0 वाके ग्राम आमली तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्राथी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली